न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-11/2019/जिला भीलवाड़ा

मिश्रीलाल गोदपुत्र मोडाराम उर्फ मोडू जी जाति गूर्जर निवासी रामपुर आंगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

--अपीलांटस

बनाम

1. हेमराज गोदपुत्र मोडूराम
2. श्रीमती सायरी पत्नि मोडूराम

   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम आंगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

--रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2014 अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 116/2013 बउनवानी ''हेमराज बनाम सायरी'' में पारित किया गया।

अपीलांट अभिभाषकः- श्री एम0एल0गुर्जर
रेस्पोडेंट अभिभाषकः- श्री एस0पी0ओझा
राजकीय अभिभाषकः- श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः-22.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1140/1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भैरू खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है। इस आराजी का खातेदार मोडूराम पुत्र बालूराम था। जिसका स्वर्गवास होने पर तहसीलदार हुरड़ा ने नामातंरण संख्या 29 दिनांक 03.01.2002 को अपीलांट की माता श्रवणी बेवा पेमा एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 सायरी पत्नि मोडूराम के पक्ष में स्वीकार करने का आदेश दिया। जिसकी अपील रेस्पोडेंट हेमराज द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में की थी। जिस पर बाद सुनवाई उनके द्वारा दिनांक 09.07.2014 को अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 29 दिनांक 03.01.2002 को निरस्त कर दिया। प्रकरण पुनः तहसीलदार हुरड़ा को रिमाण्ड किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है-

1. तहसीलदार द्वारा श्रवणी बेवा पेमा एवं मोडूराम की पत्नि सायरीदेवी को प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी सही रूप से माना जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपास्त करने में भूल की है।

2. सायरीदेवी द्वारा पंजीकृत गोदनामें से मिश्रीलाल [illegible] लिया गया था। जबकि सायरीदेवी द्वारा कभी भी हेमराज को गोद [illegible] अपीलांट को दिनांक 23.10.2002 को गोद लिया था और [illegible] दिनांक 24.10.2002 [illegible] गोद लिया गया था। रेस्पोडेंट का गोदनामा पश्चातवृति है तथा वि[illegible]दित भूमि पर उसका [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:25 IST
Reason: SelfAttested

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी तथा अपील को अंदर मियाद मानकर अधीनस्थ न्यायालय में गलती की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2014 निरस्त किया जाये। नामातंरण संख्या 29 दिनांक 03.01.2022 को यथावत रखा जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र एवं नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युल प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय कार्यवाही के दौरान दिनांक 23.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेंट द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये है–

1. एडीजे गुलाबपुरा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 सिविल वाद संख्या 31/2012 उनवानी खेमराज बनाम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेंड जिसके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 18.06. 2012 को अवैध शून्य घोषित किया है।

2. उक्त वाद संख्या 31/2012 में पारित डिक्री दिनांक 04.10.2017

3. उक्त वाद में प्रस्तुत गोद पुत्र दिनांक 10.10.91 की प्रति जो प्रदर्श 2 है। प्रमाण पत्र जो एक है।

4. उक्त वाद में प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड प्रदर्श 3

5. राजस्थान विधानसभा मतदाता पर्ची सन् 2013 प्रदर्श 4

6. उक्त वाद में प्रस्तुत हेमराज का निर्वाचन आयोग के प्रार्थना पत्र की प्रति।

7. सिविल वाद में पारित डिक्री से जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में रेस्पोडेंट का नाम दर्ज किया गया की प्रति। अंत में निवेदन किया कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाये।

प्रार्थना पत्र एवं अपील में अंतिम बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित रहे है। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 09.04.2014 का है। तहसीलदार द्वारा नामातंरण संख्या 29 दिनांक 03.01.2002 को धारा 135(1) के तहत निर्णित किया गया था। मोडा खातेदार था। सायरी उसकी पत्नि है। अपीलांट सायरी के विरूद्ध गया हुआ था। अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 23.10.2002 से निष्पादित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में हेमराज की कोई धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र नही पेश किया गया था। हेमराज अपील गोदपुत्र के आधार पर की गई है। वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि मिश्रीलाल व्यथित पक्षकार नहीं है। अपीलांट के अनुसार उसका गोदनामा दिनांक 23.10.2002 का है और हमारा दिनांक 24.10.2022 का है। उसका यह भी मानना है कि प्रथम गोदनामें को निरस्त कराये बिना राहत नहीं मिलेगी। जबकि हमारा गोदनामा रजिस्टर्ड होकर दिनांक 10.10.91 का है। मोडूराम द्वारा हेमराज को गोद लिया गया था। पश्चातवृति गोदनामा मिश्रीलाल का है। मोडूराम की मृत्यु के बाद उसके दो वारिस है–पत्नि सायरी और हेमराज। जमीन बची हुई है या अवाप्त हुई है। सिर्फ पत्नि के नाम नामातंरण खुला एडीएम के यहां मैनें अपील की है। मेरी अपील स्वीकार की गई है और पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की गई [illegible] थित पक्षकार सिर्फ सायरीदेवी हो सकती है अन्य नहीं। सायरीदेवी जिन्दा है। अपील [illegible] सन् 2014 का है। अपील सन् 2019 में की गई है। सायरी ने हिन्दुस्तान जिंक लिमि[illegible] को भैरूखेड़ा गांव की भूमि का पूर्ण हिस्सा अपना बताकर बेच दिया। मगर उसका हिस्सा 1/4 था और मेरा 1/4 था। सायरी ने गलत किया। एडीजे कोर्ट गुलाबपुरा द्वारा सायरी द्वारा किये गये विक्रय पत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:25 IST
Reason: SelfAttested

18.06.2012 को दिनांक 13.09.2017 को निरस्त कर दिया। इस बाबत दिनांक 04.10.2017 को डिक्री जारी की गई।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2014 सुनवाई के दौरान उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा निर्णय दिया गया था। इसकी जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 18.03.2019 को होने पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन लगाकर दिनांक 25.03.2019 को नकल प्राप्त कर अपील तैयार करने हेतु अजमेर आकर अभिभाषक से मिला तथा शीघ्र अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार करने हेतु निवेदन किया। यह सही है कि अपीलाधीन निर्णय में उन्हें (मिश्रीलाल) को पक्षकार नहीं बनाया गया था। ऐसी अवस्था में उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं रही होगी। जानकारी दिनांक 18.03.2019 के बाद अपीलांट द्वारा दिनांक 08.04.2019 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी के दिन से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार नामातंरण संख्या 29 दिनांक 03.01.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए तहसीलदार हुरड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में छूट प्रदान की जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार हुरड़ा के समक्ष प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। मगर उसे प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में न्याय हित में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से प्रार्थी को छूट प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार वह रेस्पोडेंट सायरी पत्नि मोडूराम का दत्तक पुत्र होकर विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। जिसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था और अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 09.07.2014 को विवादित निर्णय किया है। वह उक्त निर्णय से व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायें। अपील मीमो के अनुसार नामातंरण संख्या 29 ग्राम भैरूखेड़ा स्वीकृति दिनांक 03.01.2002 स्वीकृति द्वारा तहसीलदार हुरड़ा के अनुसार उक्त नामातंरण श्रवणी बेवा पेमा एवं सायरी पत्नि मोडूराम के पक्ष में स्वीकार किया गया था। जिसके विरूद्ध अपील रेस्पोडेंट हेमराज द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष की थी। श्रवणी अपीलांट मिश्रीलाल की माता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय के संदर्भ में व्यथित पक्षकार माना जाता है और उन्हें अपील प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाती है।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2014 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा हेमराज द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन पर निम्न टिप्पणी की है ''अपीलांट ने अपने आवेदन में यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2002 को स्वीकृत [illegible] नामातंरण की जानकारी अपीलांट को नही है। जानकारी से अपील अवधि में प्रस्तुत है। जानकारी से आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलांट के आवेदन पर रेस्पोडेंट की ओर से किसी प्रकार का अपीलांट के आवेदन पर अविश्वास करने का कोई कारण दृष्टिगत नही होने से आवेदन दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:25 IST
Reason: SelfAttested

क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है। एकबार धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय होने के बाद अपर न्यायालय में इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता है। अपीलांट का इस बाबत आक्षेप खारिज किया जाता है।

रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के न्याय निपटारे के लिए आवश्यक है तथा प्रकरण के उचित निर्णय हेतु रोशनी भी डालते है तथा समस्त दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी के रूप में है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा इन्हें रिकोर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

नामातंरण रजिस्टर ग्राम भैरूखेड़ा नामातंरण संख्या 29 के अनुसार खाता संख्या 74 विवादित आराजी नम्बर 1140/1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि मोडा पिता बालू, श्रवणी देवी के हक में खातेदारी के नाम दर्ज हैं। मोडा की मृत्यु के बाद विरासत से खाता जरिये नामातंरण संख्या 29 दिनांक 03.01.2002 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम खोला गया। जबकि हेमराज को रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर मोडा द्वारा गोद लिया गया था तथा हेमराज का रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर उसका हक बनता था। मगर तहसीलदार द्वारा बिना कोई जांच किये नामातंरण की कार्यवाही की गई है। जो उचित नहीं है। उक्त आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा हेमराज द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, प्रकरण को पुनः तहसीलदार हुरड़ा को रिमाण्ड किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा हेमराज के पक्ष में किये गये गोदनामें को सही माना है। उक्त विवादित खाते में सायरी का 1/2 हिस्सा ही बनता था तथा हेमराज को गोद लिये जाने की वजह से हेमराज का 1/4 हिस्सा एवं सायरी का 1/4 हिस्सा बनता है। मगर सायरी द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को अपने 1/4 हिस्से की जगह अपना 1/2 हिस्सा विक्रय कर दिया। इस वजह से हेमराज द्वारा एडीजे गुलाबपुरा में सायरी द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु सिविल वाद दायर किया गया था जो एडीजे गुलाबपुरा द्वारा स्वीकार करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.09.2017 से हेमराज के पक्ष में दावा डिक्री किया। नामातंरण संख्या 707 से दिनांक 07.03.2019 से उक्त आदेश की पालना में हेमराज का हिस्सा 1/4 विवादित खसरा नम्बर में दर्ज कर दिया है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मोडूराम द्वारा हेमराज को रजिस्टर्ड गोदनामें के माध्यम से गोद लिया गया था। मोडूराम की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी में उसका अपनी मां सायरी के साथ हिस्सा बनता था। मगर तहसीलदार हुरड़ा द्वारा बिना जांच किये हेमराज को मोडूराम की विरासत में नही जोड़ा था। बाद में इसी आधार पर सायरी द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को विक्रय कर दिया था। जिसे बाद में ए0डी0जे न्यायालय द्वारा सिविल वाद संख्या 31/2012 हेमराज बनाम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को अवैध एवं शून्य घोषित किया था। जिसके आधार पर पालना में जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम भैरूखेड़ा में हेमराज का नाम 1/4 हिस्से में विवादित खसरा नम्बर 1140/1 में दर्ज कर दिया गया। चूंकी अभी सायरी जीवित है और उसके द्वारा मिश्रीलाल को दिनांक 23.10.2002 को गोद लिया जाना पाया जाता है। मगर उक्त गोदनामा सायरी की मृत्यु के बाद ही प्रभावी जो पायेगा। अपीलांट की अपील में कोई सार नहीं है एवं खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:25 IST
Reason: SelfAttested

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 116/2013 हेमराज बनाम सायरी एवं अन्य न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 09.07.2014 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:25 IST
Reason: SelfAttested